निगरानी / एलआर / 1143/ 2006/ जिला बीकानेर
गोपालराम बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
15–7–25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री एस.एन.तिवारी, अभिभाषक प्रार्थी । श्री बच्छराज कोठारी, अभिभाषक अप्रार्थी सं.2 **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–1–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बीकानेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डांण्डूसर के खसरा नंबर 195/7 में 15 बीघा व 195/8 में 15.18 बीघा कुल 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि संवत् 2037 में टीसी आवंटित हुई थी जिसका बराबर नवीनीकरण होता आ रहा है तथा इस भूमि का कब्जा प्रार्थी के पास बराबर चला आ रहा है। अतः उसे उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान की जावे। तहसीलदार बीकानेर ने प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 22–3–2000 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 19–1–06 के द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि एवं नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। ग्राम डाण्डूसर संवत् 2024 में उपनिवेशन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। दोराने उपनिवेशन हुये सर्वे में आराजी जैर को आराजीराज अंकित किया । जबतक उक्त गांव उपनिवेशन क्षेत्र में रहा तब तक उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज अंकित रही तथा सं. 2037 में विवादित आराजी प्रार्थी को बतौर टीसी आवंटित हुई तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रार्थी के पक्ष में उक्त टीसी आवंटन संवत् 2044 तक निरंतर होता रहा। तत्पश्चात् उक्त रकबा डिकोलोनाईज्ड घोषित हो जाने के कारण राजस्व क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर राजस्व क्षेत्र घोषित किया गया किंतु मौके पर आज भी प्रार्थी का कब्जाकाश्त है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 8–7–91 के द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में रहे टीसी होल्डर को खातेदारी अधिकार दिये जाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये गये। उक्त आदेश की पालना में सेकडों टीसी होल्डर्स को खातेदारी अधिकार तहसीलदारों ने प्रदत्त किये है। प्रार्थी ने भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अपने आवंटित टीसी रकबे की खातेदारी अधिकार दिये जाने का निवेदन तहसीलदार बीकानेर को किया किंतु तहसीलदार ने उपनिवेशन में रिकार्ड जाने से पूर्व अंतिम जमाबंदी में अप्रार्थी सं.1 का नाम है, जिसे सक्षम न्यायालय से हटाया जा सकता है, आवेदक सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें, अंकित किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भी यह माना। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने राजस्व नियमों की अनदेखी करते हुये निर्णय पारित किया हैं। दौराने उपनिवेशन हुये सर्वे में जब आराजी जैर आराजीराज कर दी गई तो अप्रार्थी सं.2 का किसी भी प्रकार का टिनेंसी अधिकार नहीं माना जाकर प्रार्थी को टीसी आवंटन किया गया। संवत् 2024 की जमाबंदी जो कानूनन अस्तित्वहीन हो चुकी थी, को आधार मानकर तीनों अधीनस्थ अदालतों ने गलती की है। उपनिवेशन सर्वे में विवादित आराजी को आराजीराज दर्ज करने के आदेश सक्षम अध्किारी द्वारा प्रदत्त किये गये थे, अप्रार्थीगण उक्त आदेश को निरस्त करवाने का किसी प्रकार का अधिकार कानूनन नहीं जता सकते। प्रार्थी को टीसी आवंटित भूमि पर मौके पर वास्तविक कब्जा चला आ रहा है एवं अप्रार्थी द्वारा 12 साल तक वापिस कब्जा प्राप्त करने की कोई विधि अनुरूप कार्यवाहीं नहीं करने के कारण उसके कथित टीनेंसी अधिकार समाप्त हो चुके थे। अधीनस्थ न्यायालयों ने इन तथ्यों पर गौर नहीं कर गलती की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। 4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने उपरोक्त तथ्यों का विरोध करते हुये कहा कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं.2 की गैर खातेदारी में दर्ज होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी की अपील खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डांण्डूसर के खसरा नंबर 195/7 में 15 बीघा व 195/8 में 15.18 बीघा कुल 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि संवत् 2037 में टीसी आवंटित हुई थी जिसका बराबर नवीनीकरण होता आ रहा है तथा इस भूमि का कब्जा प्रार्थी के पास बराबर चला आ रहा है। अतः उसे उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान की जावे। तहसीलदार बीकानेर ने प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 22–3–2000 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 19–1–06 के द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट से यह तो प्रकट होता है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विवादित आराजी संवत् 2037 में प्रार्थी को टीसी पर आंवटित हुई थी और संवत् 2044 तक इसका नवीनीकरण हुआ। संवत 2045 ते 2055 तक की खसरा गिरदावरी में आराजीराज दर्ज है। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 12.11.98 में यह माना कि उपनिवेशन में रेकार्ड जाने से पूर्व अंतिम जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या–2 किशनाराम के नाम से गैरखातेदारी दर्ज थी। वर्तमान में कब्जा प्रार्थी का है। जमाबंदी में प्रविष्टि अप्रार्थी संख्या–2 के नाम से है जिसे सक्षम न्यायालय के आदेश से ही हटाया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर ने भी आदेश दिनांक 22.3.2000 में यह माना कि जमाबंदी रेकार्ड आफ राईट्स् है जिसमें की गयी प्रविष्टियों को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर जब तक नहीं हटाया जाता प्रश्नगत भूमि का इन्द्राज प्रार्थी के नाम नहीं किया जा सकता । विचारण न्यायालय व अपीलीयों न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि प्रार्थी ने टी. सी. आवंटन के आधार पर तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया है लेकिन जिस भूमि पर खातेदारी चाहता है वह भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या–2 किशनाराम के नाम गैरखातेदारी दर्ज है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी संख्या–2 किशनाराम की प्रविष्टि को हटाने के लिये और उसके स्थान पर प्रार्थी के नाम की बतौर खातेदार प्रविष्टी करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में अप्रार्थी सं. 2 के नाम की प्रविष्टि को चुनौती दे कर निरस्त करवाये बिना प्रार्थी का नाम प्रविष्ट नहीं हो सकता। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में ऐसा वाद लाने के लिये स्वतन्त्र है। जहां तक प्रार्थी का यह तर्क कि उसे खसरा नम्बर 195/7 व 195/8 की भूमि टी.सी. पर आवंटन हुई जबकि अप्रार्थी संख्या–2 ने जो जमाबंदी अपने नाम गैरखातेदारी की पेश की है वह खसरा नम्बर 353/195 की होने के कारण भिन्न भूमि है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रेकार्ड्स) नियम के नियम 62 के अनुसार नये खेतों की नम्बरों की जब फिल्डबुक तैयार की जाती है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जरूरत के समय पुराने नम्बर आसानी से मालुम हो जाय इस प्रयोजन से नये नम्बर उपर लिखे जाते है व उसके नीचं पुराने नंबर लिखे जाते है। विवादित नंबरों में पुराने नंबर 195/7 व 195/8 का नया नंबर 353/195 बनना ही जाहिर होता है। जिला कलेक्टर बीकानेर ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज करते हुये तहसीलदार बीकानेर का निर्णय यथावत रखा है। राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने तहसीलदार एवं जिला कलेक्टर बीकानेर द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में तथ्य या विधि संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अतः निगरानी खारिज योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मदनलाल नेहरा) सदस्य	

निगरानी / एलआर / 1143/ 2006/ जिला बीकानेर
गोपालराम बनाम सरकार